कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ0प्र0

परिपत्रांक सी-3/अधि0-2-286 /विविध/लखनऊः दिनॉक मई 12, 2020

1-प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
लखनऊ।

2-प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
लखनऊ।

3- समस्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगरीय सहकारी बैंक, उ0प्र0,
द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता,
सम्बन्धित जनपद।

**विषयः- कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

वर्तमान समय में देश के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का प्रदेश में आगमन हो रहा हैं। ये श्रमिक विभिन्न प्रदेशों से वापस आने के पश्चात बेरोजगार हो गये है। इन श्रमिकों रोजगार उपलब्ध कराना शासन का प्रमुख लक्ष्य है। इस हेतु उच्च स्तर से निर्देश किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय संस्थाये रोजगारपरक कार्ययोजना तैयार कर अपने कार्यक्षेत्र में लागू करें। सहकारी बैंक एवं सहकारी संस्थाये वित्तीय क्रियाकलापों का संयोजन करती है जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र में क्षेत्र की भोगौलिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोजगार के नये इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है।

सहकारी क्षेत्र को इस समय अपने वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए नये कार्य क्षेत्रों का सृजन करते हुए कामगारों के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व है। जिसके तहत मौसमी/भौगोलिक स्थिति के अनुसार कार्य हेतु मजदूरो/कामगारों को र्कायोजना के अनुसार आसान किश्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता हैं।

सभी बैंक अपने क्षेत्र में स्थित उद्योग केन्द्र के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग धन्धों के विकास/स्थापना एवं कियान्यवन हेतु उद्योग विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना का प्रचार-प्रसार ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करायें जिसका प्रसार अधिकतर हो जिससे अधिक से अधिक लोगो को स्वरोजगार हेतु लाभांवित कराया जा

सके। इस प्रकार उपलब्ध कराये गये रोजगार/स्वरोजगार हेतु वितरित ऋणों की प्रगति/समीक्षा पाक्षिक रूप से अवश्य की जाये।

अतः आपसे अपेक्षित है कि शीर्ष बैंक के रूप में अपनी परिधि की संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण करने हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्योग धन्धों की कार्ययोजना सृजित कर उन्हें मूर्तरूप प्रदान कराना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक कामगारों हेतु रोजगार सृजन हो सके।

(एस0वी0एस0 रंगाराव)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक सी– 3 /अधि0–2– /विविध/लखनऊः दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2– समस्त उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकरिता, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कम्प्यूटर/वेवमास्टर) को इस आशय से कि परिपत्र को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराते हुए सभी सम्बन्धित को ई–मेल कराने का कष्ट करे।
5–प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
6– गार्ड फाइल में अनुरक्षण हेतु।

08/05/2020

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।